

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।
(E-mail id - dir.ukdgm@gmail.com)

17/11/26
04/12/26

संख्या 6445/उ0ख0(ईनि)-V/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2025-26,

दिनांक 04 फरवरी, 2026

विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय-4 नियम-20(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के नदी तल राजस्व क्षेत्रों में उपनियम (4) के अनुसार गठित समिति द्वारा जनपदवार चिन्हित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों/लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा उपनियम (2) में निर्धारित अवधि के लिए खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद नैनीताल 01 के लॉट व जनपद पौड़ी गढ़वाल के 02 लॉट कुल 03 उपखनिज लॉटों को खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत विज्ञापित किये जाने की घोषणा की जाती है:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
जनपद नैनीताल								
01.	बेतालघाट	धारी	कोसी नदी	खसरा संख्या 879/1730 रकवा 1.945 है०, खसरा संख्या 1525/1732 रकवा 4.920 है० कुल रकवा 6.865 है० मध्ये 2.300 है०	2.300	राजस्व	124200	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
जनपद पौड़ी गढ़वाल								
02	श्रीनगर	श्रीकोट गंगानाली	अलकनन्दा नदी	खसरा संख्या 01	2.00	राजस्व	54000	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
03	कोटद्वार	चर	मालन नदी (पोखाल)	खसरा संख्या 150, 178, 01	4.364	राजस्व	196380	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)

उपरोक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्र/लॉट से उपखनिजों के खनन/चुगान हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या 6445/उ0ख0(ईनि)-V/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
5. नोडल अधिकारी, आई०टी०, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

Seen

04/12/26